



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल 2025—वैशाख 5, शक 1947

### भाग ४

#### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.             |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अंतिम नियम.               |                                  |

#### भाग ४ (क) — कुछ नहीं

#### भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

#### भाग ४ (ग)

#### अंतिम नियम

#### पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2025

क्र. 558 /2318127/2024/66-1 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (क्रमांक 6/1974) की धारा 12 की उप धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

**1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

यह विनियम मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 यथा संशोधित 2025 कहलाएँगे। यह विनियम “मध्य प्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषा एवं :**

इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (1) “नियुक्ति प्राधिकारी” (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) से तात्पर्य अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से है।
- (2) “सेवा” से तात्पर्य, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सेवा से है।
- (3) “शासन” से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग है।
- (4) “अनुसूची” से तात्पर्य इन विनियमों में संलग्न सूची से है।
- (5) “अनुसूचित जातियों” तथा “अनुसूचित जनजातियों” का वही अर्थ होगा जो उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) में क्रमशः दिया गया है तथा उससे तात्पर्य ऐसी जातियों तथा जन-जातियों से होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित की जाये।

“अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है, कोई जाति मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

- (6) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (7) “अन्य पिछड़े वर्ग” से तात्पर्य ऐसी जातियों से है, जिन्हें शासन समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित करे। इन जातियों में से अपवाद होंगे, जिन्हें शासन द्वारा समय-समय पर “क्रीमी लेयर” परिभाषित किया जाये।

- (8) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग।
- (9) “बोर्ड” से तात्पर्य है, “म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड”।
- (10) “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” से तात्पर्य है, संविधान संशोधन के अनुरूप मध्य प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) जो संविधान के अनुच्छेद-341 एवं 342 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85- 25-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-07-1/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 2 जुलाई 2019 से होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित की जाये।
- (11) “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)” से अभिप्रेत है, कोई नागरिक जो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-07/11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 2 जुलाई, 2019 के अनुसार किसी आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अधीन नहीं आता हो।

### 3. विस्तार तथा प्रयुक्ति :

अभी तक अपनाये गये मध्य प्रदेश शासन के मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में दिये उपबंधों को बोर्ड की सेवाओं पर यथा स्थिति लागू होने की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस विनियम में उल्लेखित सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

### 4. सेवा का गठन :

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात :-

- (1) वे व्यक्ति जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूलतः अथवा स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों,
- (2) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार, सेवा में भर्ती किये जायेंगे।

### 5. वर्गीकरण तथा वेतनमान :

सेवा का वर्गीकरण, उनसे संबद्ध वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी, परन्तु बोर्ड समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में स्थाई या अस्थाई आधार पर वृद्धि या कमी राज्य शासन के अनुमोदन से कर सकेगा। इसी प्रकार वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं के मामले में, यदि परिस्थितियों की यह आवश्यकता हो तो राज्य शासन की सहमति से बोर्ड वेतनमान भी संशोधित कर सकेगा।

**6. भर्ती का तरीका :**

- (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जावेगी अर्थात् :-
  - (क) अनुसूची-तीन के स्तम्भ 6 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विधि से।
  - (ख) अनुसूची-चार के स्तम्भ (2) के अनुसार सेवा के सदस्यों के चयन द्वारा।
- (2) उप विनियम वर्ग के खण्ड (1) तथा (2) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी समय अनुसूची-दो में उल्लेखित पदों के प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (3) इन विनियमों के उपबंधों के अद्याधीन भर्ती किसी विशिष्ट अवधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा की किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाए जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर इन विनियमों के अन्तर्गत उल्लेखित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जावेगी।

**7. सेवा में नियुक्ति :**

इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समर्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जावेगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति विनियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके से चयन करने के पश्चात् ही की जावेगी अन्यथा नहीं।

**8. सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें :**

चयन किए जाने के लिए पात्र होने की दृष्टि से उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी अर्थात् :-

- (1) आयु :-
  - (क) उसने चयन के प्रारंभ होने की तारीख की आगामी पहली जनवरी को अनुसूची-तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उसने उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।
  - (ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछ़ा वर्ग का हो, तो आयु की उच्चतम सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की शिथिलता दी जायेगी।
  - (ग) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
  - (घ) ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अथवा किसी अधिविनियम/अधिनियम के अन्तर्गत गठित बोर्ड या स्वायत्तशासी संस्था के अधिकारी हों या रह चुके हों, निम्नलिखित सीमा तक तथा शर्त के अध्ययीन रहते हुए शिथिलता दी जावेगी।

सीधी भर्ती के उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन, इस बोर्ड अथवा किसी बोर्ड या स्वायत्तशासी संस्थाओं से छटनी किए गए हों उसे अपनी आयु में से उसके

द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अवधि अधिक से अधिक 7 वर्ष की अवधि भले ही यह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवा के कारण हो कम करने की अनुमति दी जावेगी, बशर्ते कि इसके फलस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

#### स्पष्टीकरण :-

“छटनी किए गए अधिकारी” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो मध्यप्रदेश राज्य की शासकीय सेवा अथवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अस्थायी सेवा में कम से कम 3 माह की निरन्तर कालावधि तक रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने अथवा बोर्ड में नियुक्त हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व, कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसे उम्मीदवार जो “भूतपूर्व सैनिक” हो, उसे अपने आयु में उसके द्वारा पूर्व में की गई अधिकतम सात वर्ष की प्रतिरक्षा सेवा भले ही यह एक से अधिक मौकों की हो, की कालावधि कम करने की अनुमति दी जावेगी बशर्ते की परिणामी आयु अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

#### स्पष्टीकरण :-

पद “भूतपूर्व सैनिक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा या बोर्ड की सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष से पूर्व मितव्ययता इकाई की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप या स्थापना में सामान्य कमी किये जाने के कारण छटनी कर दी गई थी या जिसे अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित कर दिया था:-

- (i) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति (मंस्टरिंग आउट कंसेशन) के अधीन नियुक्त किया गया है।
- (ii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे दुबारा भर्ती किया गया है तथा जिसे (क) अल्पावधि कार्य पूर्ण हो जाने पर, (ख) भर्ती की शर्तों को पूर्ण कर लेने पर सेवा मुक्त कर दिया गया है।
- (iii) अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सहित ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा सिविल) जिन्हें उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवामुक्त किया गया है।
- (iv) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य पर लेने के पश्चात् सेवा मुक्त किया गया है।
- (v) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया है।

(vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है।

- (च) विधवा या तलाकथुदा महिला उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
- (छ) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत (यीन काडी) धारण करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल की जायेगी।
- (ज) अर्नजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ऐसे सर्वर्ण पार्टनर के लिए, जिन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत किया गया है, अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जायेगी।
- (झ) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित उम्मीदवार के मामले में भी अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जायेगी।
- (ञ) ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में जो मध्य प्रदेश निगमों/बोर्डों के कर्मचारी हैं, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल की जायेगी।
- (त) स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालंटीयर होम गार्ड्स) तथा नगर सैनिकों के नाम कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए 8 वर्ष तक की सीमा के अधीन रहते हुए, शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी :-

- (i) उन उम्मीदवारों की जिन्हें उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) में वर्णित आयु में रियायत के अधीन चयन के लिए ग्राह्य किया गया है, उस स्थिति में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी यदि वे आवेदन करने के पश्चात् या तो चयन किए जाने के पूर्व या पश्चात् मूल सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् मूल सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छलनी कर दी जाये तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे।
  - (ii) किसी भी अन्य दशा में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएँगी।
  - (iii) विभागीय उम्मीदवारों को किसी पद के लिए आवेदन करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।
- (2) शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव :-
- प्रत्येक उम्मीदवार के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं और जहां कहीं दर्शित हो अनुभव भी होना चाहिए जो कि अनुसूची-तीन में दर्शाई गई है:-
- (1) आपवादिक मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे उम्मीदवार को चयन समिति/बोर्ड की सिफारिश पर अर्हता मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई नहीं रखता है, किन्तु जिसने किन्हीं अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षायें ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जो राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा नियुक्ति अधिकारी के मत से आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं के समतुल्य हो जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उम्मीदवार चयन के लिये अर्हता रखता हो, और

(2) ऐसे उम्मीदवार के जो अन्यथा अर्ह है, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, उपाधियां प्राप्त की हैं, चयन के लिए भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार विचार किया जा सकेगा।

(3) शुल्क :-

उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान करने से छूट होगी।

#### 9. अनर्हता :-

उम्मीदवारों की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी और यदि चयन समिति गठित हो तो चयन समिति उस उम्मीदवार को चयन के लिए अनर्ह मान सकेगी।

#### 10. नियुक्ति प्राधिकारी का उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में विनिश्चय अंतिम होना :-

प्रश्न परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी उम्मीदवार को जिसे नियुक्ति, प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिए सर्टिफिकेट न दिया गया हो उसे न तो साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा और न ही उसकी नियुक्ति पर विचार होगा।

#### 11. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :-

- (1) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अन्तरालों में किया जायेगा जैसा कि बोर्ड समय-समय पर अवधारित करे।
- (2) चयन समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जावेगी जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर जारी करें।
- (3) सीधी भर्ती के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) नियम 1998 के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों में पदों के क्रमशः सोलह प्रतिशत अनुसूचित जाति, बीस प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, सत्ताइस प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दस प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों हेतु आरक्षित होंगे तथा इस सन्दर्भ में आरक्षण का प्रतिशत तत्समय पर मध्य प्रदेश शासन के प्रभावशील विनियमानुसार लागू होंगे।
- (4) इस प्रकार आरक्षित स्थानों को भरते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जावेगा, जिस क्रम में उनके नाम विनियम 13 में विनिर्दिष्ट सूची में आते हो, चाहे अन्य उम्मीदवार की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो।
- (5) ऐसे उम्मीदवारों को जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ी जातियों के हों और जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी या प्रशासन में दक्षता बनाएं रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप विनियम (ग) के अधीन यथा स्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या

पिछळी जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

- (6) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां किसी भी रीति में अन्य अभ्यर्थियों से भरी नहीं जायेंगी।
- (7) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों/निःशक्तजनों के लिये आरक्षण के उपबंध होरीजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज होंगे।
- (8) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (मलियों की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों में से 35 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होंगे। यह आरक्षण होरीजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज होगा।

**12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची :-**

- (1) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी को (1) अपने द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार उम्मीदवारों की योग्यता क्रम बनाई गई सूची तथा (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछळी जातियों के उन उम्मीदवारों की सूची जो यद्यपि चयन समिति द्वारा चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड के न होने पर जिन्हें चयन समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो।
- (2) इन विनियमों तथा म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबंधों के अध्याधीन उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के बारे में उसी क्रम में विचार किया जावेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (3) जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का उसके द्वारा उम्मीदवार के पूर्व वृत्त के संबंध में आवश्यक समझी जाने वाली जांच पड़ताल से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है, तब तक उप विनियम 12(क) 12(1) में उल्लेखित सूची में केवल उम्मीदवार का नाम शामिल होने से ही उसे नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल सकेगा।
- (4) चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची नियुक्तिकर्ता अधिकारी या बोर्ड के अंतिम अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष की कालावधि तक के लिये विधिमान्य रहेगी।

**13. चयन द्वारा नियुक्ति :-**

- (1) पात्र अभ्यर्थियों के चयन के लिये अनुसूची-चार के कॉलम-5 में उल्लेखित सदस्यों से मिलाकर एक चयन समिति गठित की जायेगी।
- (2) समिति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार, अनुसूची-चार के कॉलम 3(2) में उल्लेखित पदों से अनुसूची-चार के कॉलम 4(3) में उल्लेखित पदों के लिये समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन :- प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी उनके द्वारा जारी किये जाने वाले चयन आदेश पर इस आशय के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने

मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों के उप-खण्डों के अधीन जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है।

- (4) चयन समिति की बैठक ऐसे अन्तरावधियों पर होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो,

**14. चयन के लिए पात्रता की शर्तें :-**

- (1) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई चयन नीति के उपबन्धों के अनुसार समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर उतने वर्षों की सेवा, (चाहे स्थानापन्न रूप से या मूल रूप में) पूर्ण कर ली थी, जैसा कि अनुसूची-चार के कालम (3)(4) में विविर्दिष्ट है।
- (2) परन्तु इस विनियम के अधीन किसी कनिष्ठ व्यक्ति को केवल उसकी अर्हकारी सेवा की कालावधि पूर्ण करने के आधार पर अपने से वरिष्ठ व्यक्ति के पहले विचार नहीं किया जायेगा।
- (3) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए चयन, वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।

**15. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना :-**

- (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो विनियम 14 में निहित की गई शर्तों को पूरा करते हों और जो सेवा में चयन के लिए समिति द्वारा उपयुक्त ठहराये गए हों। चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा चयन के कारण होने वाले पूर्वानुमानित प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों की एक रक्षित सूची भी उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये तैयार की जायेगी।
- (2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये चयन, “वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुये योग्यता” तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगी।
- (3) सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम ऐसी चयन-सूची के तैयार करते समय अनुसूची-चार के कालम 2 में यथाविविर्दिष्ट सेवा के पदों में ज्योष्ट्रता के क्रम में रखे जायेंगे।

**स्पष्टीकरण :-**

ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जिन्हे चयन सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो केवल उनके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के उपर जिनपर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं करेंगे।

- (4) इस प्रकार तैयार की गई सूची को गुण दोष के आधार पर प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा। यदि चयन, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिकमण किया जाये तो समिति प्रस्तावित अधिकमण के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

**16. चयन सूची :-**

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कॉलम 3 में दर्शाये अनुसार सेवा के सदस्यों की चयन के लिये चयन सूची होगी। चयन सूची जब तक कि विनियम 15 के उपविनियम (घ) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण नहीं किया जाता, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी, परन्तु चयन सूची में समिति किये गये किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निवाहन में गंभीर चूके होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों को, यदि कोई हो, विचार में लेने के पश्चात् सूची को ऐसे उपान्तरणों के साथ, यदि कोई हो, जो उसकी राय में व्यायासंगत तथा उचित हो, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।
- (3) चयन द्वारा सेवा में नियुक्ति किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सरकार बोर्ड द्वारा ऐसी कालावधि को एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके उपरान्त कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर चयन से वंचित किया जा सकेगा। इस संबंध में बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा।

**17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :-**

चयन सूची में समिलित व्यक्तियों की केडर के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जावेगी जिस क्रम में उनके नाम अनुमोदित चयन सूची में हैं।

**18. परिवीक्षा :-**

सेवा में भर्ती किए गए प्रत्येक अधिकारी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जायेगा बशर्ते कि स्पष्ट रिक्तियां हों अव्यथा सभी नियुक्तियां अस्थायी रूप में आगामी आदेशों तक की जावेगी।

**19. सेवा की अव्य शर्तें :-**

सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण एवं अनुशासन के संबंध में शासन के निम्न विनियम जैसे कि समय-समय पर प्रभावी हो, सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे :-

- (1) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961
- (2) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

- (3) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 इस संशोधन के साथ कि नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य शासन, पर्यावरण विभाग के सम्मुख हो सकेगी जो प्रकरण पर विचार हेतु बनाई समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय लेंगे जो अंतिम होगा. यह समिति तीन अधिकारियों की हो सकेगी. जिनमें से एक बोर्ड का वरिष्ठ अधिकारी होगा. इसी तरह वेतनमान, वेतन निर्धारण, मंहगाई भत्तें, अवकाश तथा अर्धवार्षिक अधिवार्षिकी के मामलों में समय-समय पर शासकीय सेवकों को प्रभावी आदेश सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.
- (4) मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिविनियम, अधिविनियम 1967 यथा संशोधित मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश अधिविनियम 2018 तथा वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन का आदेश क्रमांक आर-298/1018/ 2018/विनियम/वार भोपाल दिनांक 27 अप्रैल 2018
- (5) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976
- (6) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977
- (7) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचयी) नियम, 1958

#### 20. निर्वहन :-

यदि इन विनियमों के निर्वहन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

#### 21. स्थूल :-

इन विनियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह ऐसे व्यक्ति के मामले में जिनको यह विनियम लागू होते हैं, राज्य बोर्ड की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उसे उचित व व्याय संगत प्रतीत हो परन्तु मामले पर कार्यवाही किसी ऐसी रीति से नहीं की जावेगी जो कि इन विनियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

#### 22. व्यावृत्ति :-

इन विनियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों पिछड़ा वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों के लिए उपबंध किए जाने को प्रभावित नहीं करेगी।

#### 23. निरसन एवं व्याप्ति :-

इस विनियम के प्रभावशील होने पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्य प्रदेश नियम 1975, मध्य प्रदेश प्रदेषण नियंत्रण बोर्ड (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 में सम्मिलित तत्थानी समरत नियम/विनियम तथा बोर्ड द्वारा लागू तत्संबंधी प्रशासनिक आदेश जो कि इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व लागू थे, निरस्त किए जाते हैं। परन्तु इस प्रकार निरसित किये विनियमों तथा आदेश के अधीन की गई कार्यवाही इन विनियमों के उपबंधों के अधीन की गई कार्यवाही मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा सोलंकी, उपसचिव.

**अनुसूची-एक**  
**(पदों की संख्या व वेतनमान)**  
**(विनियम-5 देखिये)**

क्र. संख्या	पदनाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)
1	2	3	4	5
<b>I यांत्रिकी सेवायें</b>				
1	अधिसमय वेतनमान समकक्ष डायरेक्टर (पर्यावरण)	01	प्रथम श्रेणी	141800-214700 (लेवल-17 ग्रेड पे 10000)
2	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष एडीशनल डायरेक्टर (पर्यावरण)	02	प्रथम श्रेणी	129700-214300 (लेवल-16 ग्रेड पे 8900)
3	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य अभियंता (पर्यावरण)	04	प्रथम श्रेणी	123100-215900 (लेवल-15 ग्रेड पे 8700)
4	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण)	14	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (लेवल-14 ग्रेड पे 7600)
5	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण)	22	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण)	84	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
<b>II वैज्ञानिकी सेवायें</b>				
1	अधिसमय वेतनमान समकक्ष प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	141800-214700 (लेवल-17 ग्रेड पे 10000)
2	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष अतिरिक्त प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी	02	प्रथम श्रेणी	129700-214300 (लेवल-16 ग्रेड पे 8900)
3	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	04	प्रथम श्रेणी	123100-215900 (लेवल-15 ग्रेड पे 8700)
4	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	14	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (लेवल-14 ग्रेड पे 7600)
5	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष मुख्य रसायनज्ञ	22	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक	84	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
<b>III प्रशासन, विधि एवं लेखा सेवायें</b>				
1	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष वित्त अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)
2	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष प्रशासकीय अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)
3	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष स्टॉफ ऑफीसर	02	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)

4	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी	14	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
5	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (बजट एवं लेखा)	04	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष शीघ्रलेखक ग्रेड- एक	07	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
7	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष विधि सलाहकार	02	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (लेवल-14 ग्रेड पे 7600)
8	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष विधि अधिकारी	05	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)
9	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी	10	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
<b>IV जनसम्पर्क एवं आईटी सेवायें</b>				
1	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष सम्पर्क अधिकारी (डाइंग काडर घोषित कर आउटसोर्स कंसल्टेंट)	01	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
2	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक जनसम्पर्क अधिकारी (डाइंग काडर घोषित कर आउटसोर्स कंसल्टेंट)	01	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
3	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष कम्प्यूटर प्रोग्रामर/ऑपरेटर	04	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)

**अनुसूची-दो**  
**(सीधी भर्ती/चयन से भरे जाने वाले पदों की संख्या)**  
**(विनियम-6 देखिये)**

क्रं	पदनाम	श्रेणी	कुल पद संख्या	भरे जाने का प्रतिशत व संख्या	
				सीधी भर्ती	चयन
1	2	3	4	5	6
<b>I. यांत्रिकी सेवायें</b>					
1	अधिसमय वेतनमान समकक्ष डायरेक्टर (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	01	--	01 (100 प्रतिशत)
2	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष एडीशनल डायरेक्टर (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	02	--	02 (100 प्रतिशत)
3	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य अभियंता (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	04	--	04 (100 प्रतिशत)
4	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	14	--	14 (100 प्रतिशत)
5	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	22	--	22 (100 प्रतिशत)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण)	द्वितीय श्रेणी	84	42 (50 प्रतिशत)	42 (50 प्रतिशत)
<b>II. वैज्ञानिकी सेवायें</b>					
1	अधिसमय वेतनमान समकक्ष प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी	प्रथम श्रेणी	01	--	01 (100 प्रतिशत)
2	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष अतिरिक्त प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी	प्रथम श्रेणी	02	--	02 (100 प्रतिशत)
3	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	प्रथम श्रेणी	04	--	04 (100 प्रतिशत)
4	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	प्रथम श्रेणी	14	--	14 (100 प्रतिशत)
5	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष मुख्य रसायनज्ञ	प्रथम श्रेणी	22	--	22 (100 प्रतिशत)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक	द्वितीय श्रेणी	84	42 (50 प्रतिशत)	42 (50 प्रतिशत)
<b>III. प्रशासन, विधि एवं लेखा सेवायें</b>					
1	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष वित्त अधिकारी	प्रथम श्रेणी	01	--	01 (100 प्रतिशत)
2	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष प्रशासकीय अधिकारी	प्रथम श्रेणी	01	--	01 (100 प्रतिशत)
3	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष स्टॉफ ऑफीसर	प्रथम श्रेणी	02	--	02 (100 प्रतिशत)

4	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	14	07 (50 प्रतिशत)	07 (50 प्रतिशत)
5	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (बजट एवं लेखा)	द्वितीय श्रेणी	04	02 (50 प्रतिशत)	02 (50 प्रतिशत)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष शीघ्रलेखक ग्रेड- एक	द्वितीय श्रेणी	07	--	07 (100 प्रतिशत)
7	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष विधि सलाहकार	प्रथम श्रेणी	02	--	02 (100 प्रतिशत)
8	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष विधि अधिकारी	प्रथम श्रेणी	05	--	05 (100 प्रतिशत)
9	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	10	05 (50 प्रतिशत)	05 (50 प्रतिशत)

**IV. जनसम्पर्क एवं आईटी सेवायें**

1	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष सम्पर्क अधिकारी(डाइंग काडर घोषित कर आउटसोर्स कंसल्टेंट)	द्वितीय श्रेणी	01	--	01 (100 प्रतिशत)
2	कनिष्ठ वेतनमान समकक्षसहायक जनसम्पर्क अधिकारी(डाइंग काडर घोषित कर आउटसोर्स कंसल्टेंट)	द्वितीय श्रेणी	02	02 (100 प्रतिशत)	--
3	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष कम्प्यूटर प्रोग्रामर/ऑपरेटर	द्वितीय श्रेणी	04	04 (100 प्रतिशत)	आउट सोर्सिंग के माध्यम से

**अनुसूची-तीन**  
**(सीधी भर्ता से भरे जाने वाले पदों हेतु निर्धारित अर्हता)**  
**(विनियम-8 देखिये)**

क्रं	पदनाम	निम्नतर आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता		चयन का प्रकार
				3	4	
I.	यांत्रिकी सेवायें					
1	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण)	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग में रनातकोत्तर व स्नातक स्तर पर सिविल इंजीनियरिंग ।	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा	
II.	वैज्ञानिक सेवायें					
1	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक	21	40*	जीव विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान/ जैविक विज्ञान /भूगर्भ विज्ञान/ पृथ्वी विज्ञान/ रसायनिक विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्व विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गों में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता एवं अन्य मापदण्ड विविन्यिम 2010 या समय समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा अंगीकृत विनियमों के अनुसार लागू होंगी।	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा	
III.	प्रशासन, विधि एवं लेखा सेवायें					
1	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.ए.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा	

2	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (बजट एवं लेखा)	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.ए.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा
3	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा
<b>IV. जनसम्पर्क एवं आईटी सेवायें</b>					
1	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक जनसम्पर्क अधिकारी(डाइंग काडर घोषित कर आउटसोर्स कंसल्टेंट)	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन /जनरलिजम/ पब्लिक रिलेशन मे स्नातकोत्तर उपाधि	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा

**नोट :**

1. \*अधिकतम आयु सीमा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र कमांक सी-3-11/12/13/ 1/3 भोपाल दिनांक 03/11/2012 एवं संशोधित आदेश दिनांक 20/12/2012 के अनुसार है, भविष्य में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयु सीमा के संबंध में किये जाने वाले संशोधन बोर्ड में स्वतः लागू माने जायेंगे।

**अनुसूची-चार**  
**(चयन से भरे जाने वाले पदों हेतु निर्धारित अर्हता)**  
**(विनियम-6 एवं 14 देखिये)**

कं.	पद का नाम जिससे चयनित किया जाना है	पद का नाम जिस पर चयनित किया जाना है	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव	चयन समिति के सदस्य
1	2	3	4	5
I.	यांत्रिकी सेवाएँ			
1	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष एडीशनल डायरेक्टर (पर्यावरण)	अधिसमय वेतनमान एडीशनल डायरेक्टर (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	अतिरिक्त अधिसमय श्रेणी वेतनमान समकक्ष एडीशनल डायरेक्टर (पर्यावरण) पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>
2	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य अभियंता (पर्यावरण)*	अतिरिक्त अधिसमय श्रेणी वेतनमान समकक्ष एडीशनल डायरेक्टर (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य अभियंता पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>

3	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण)	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मुख्य अभियंता (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष अधीक्षण यंत्री पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>
4	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण)	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष कार्यपालन यंत्री पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा तथा भाव्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से पर्यावरण इन्जीनियरिंग में स्नातकोत्तर व स्नातक स्तर पर सिविल इंजीनियरिंग। (उक्त शैक्षणिक योग्यता इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन होने के पूर्व से बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष कार्यपालन यंत्री पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा तथा भाव्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से पर्यावरण इन्जीनियरिंग में स्नातकोत्तर व स्नातक स्तर पर सिविल इंजीनियरिंग। (उक्त शैक्षणिक योग्यता इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन होने के पूर्व से बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>

5	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष कार्यपालन यंत्री(पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>
6	उपयंत्री (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण) (द्वितीय श्रेणी)	<p>(1) सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि के साथ उपयंत्री के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।</p> <p>(2) सिविल अभियांत्रिकी में पत्रोपाधि के साथ उपयंत्री पद पर 08 वर्ष की लगातार सेवा।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>
7	मुख्य मानचित्रकार/ मानचित्रकार (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण) (द्वितीय श्रेणी)	<p>(1) मुख्य मानचित्रकार/ मानचित्रकार पद पर 12 वर्ष की लगातार सेवा।</p> <p>(2) सेवा के दौरान बी.ई.डिग्री प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिये मुख्य मानचित्रकार / मानचित्रकार पद पर 08 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>

II. वैज्ञानिक सेवाएँ			
1	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष अतिरिक्त प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	अधिसमय वेतनमान समकक्ष प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष अतिरिक्त प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।
2	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष अतिरिक्त प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।
3	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।

1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष
2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य
3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य
5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य

1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष
2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य
3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य
5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य

1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष
2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य
3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य
5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य

4	<p>वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष मुख्य रसायनज्ञ (प्रथम श्रेणी)</p>	<p>प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथमश्रेणी)</p>	<p>वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष मुख्य रसायनज्ञ के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा तथा जीव विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान/ जैविक विज्ञान/भूगर्भ विज्ञान/ पृथ्यी विज्ञान/ रसायनिक विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद के लिये निर्धारित व्यूनतम अर्हताये विश्वविज्ञालय अनुदान आयोग विश्व विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गों में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने हेतु निर्धारित व्यूनतम अर्हता एवं अन्य मापदण्ड विविनियम 2010 या समय समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा अंगीकृत विनियमों के अनुसार लागू होंगी। (उक्त शैक्षणिक योग्यता इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन होने के पूर्व से बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों पर लागू नहीं होंगी।)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछळा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>
---	--	---	---	---

5	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक (द्वितीय श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष गुरुत्व रसायनज्ञ (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>
6	कनिष्ठ वैज्ञानिक/रसायनज्ञ (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक (द्वितीय श्रेणी)	<p>(1) एम.एससी. उपाधि के साथ कनिष्ठ वैज्ञानिक/रसायनज्ञ के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।</p> <p>(2) बी.एससी. उपाधि के साथ कनिष्ठ वैज्ञानिक/रसायनज्ञ के पद पर 08 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>
<b>III. प्रशासन, विधि एवं लेखा सेवाएँ</b>				
1	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष वित्त अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>

2	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष प्रशासकीय अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>
3	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष शीघ्रलेखक ग्रेड-1 (द्वितीय श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष स्टॉफ ऑफीसर (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष शीघ्रलेखक ग्रेड-1 के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>
4	अधीक्षक/ वरिष्ठ लेखपाल (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	अधीक्षक/ वरिष्ठ लेखपाल के पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>

5	स्टेनोग्राफर घेड-2 (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष स्टेनोग्राफर घेड-1 (द्वितीय श्रेणी)	स्टेनोग्राफर घेड-2 के पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>
6	वरिष्ठ आडिटर/ समकक्ष वेतनमान के कर्मचारी (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (बजट एवं आडिट) (द्वितीय श्रेणी)	(1) घेड-पे 4200 के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा। (2) बी.कॉम के साथ- साथ वित्तीय प्रबंधन में एमबीए डिग्री।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>
7	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष विधि अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>

8	विधि सहायक (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	विधि सहायक ग्रेड-1 के पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य</li> <li>3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य</li> <li>4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य</li> <li>5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य</li> </ol>
---	---------------------------	---	---	--

Bhopal, the 17<sup>th</sup> April 2025

No. 558 /2318127/2024/66-1, In exercise of the powers conferred by sub-section 3 (a) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6/1974), the State Government, hereby makes the following regulations from the date of publication, namely:-

### 1. Short Title and Commencement-

These regulations shall be called The Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class I and Class II) (Recruitment and Conditions of Service) Regulations, 1996 as amended 2025. These regulations shall come into force from the date of publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

### 2. Definition:-

In these Regulations, unless the context otherwise requires:-

- (1) "Appointing Authority" (Class I & II) means the Chairman, Madhya Pradesh Pollution Control Board.
- (2) "Service" means the Madhya Pradesh Pollution Control Board, (Class I & II) Service.